कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आदेश संख्या–वा0क0अधि0 / दस–3 (ग) / आक0निरी0 /   / 2022, दिनांक ::जुलाई 21 : –2022

–:: आकस्मिक निरीक्षण ::–

आज दिनांक 21–07–2022 को पूर्वान्ह 10:20 बजे सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, गाजियाबाद पीठ–1 व 2, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, आगरा पीठ–1 व 2 एवं सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाराणसी पीठ–1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 का आकस्मिक निरीक्षण दूरभाष द्वारा किया गया। सम्बन्धित सभी सदस्यों के लैण्ड–लाइन कार्यालय दूरभाष पर सम्पर्क करने का प्रयास किया गया, परन्तु सभी स्थानों पर दूरभाष अनुत्तरित पाया गया तथा सम्बन्धित जनपद के कर्मचारियों के मोबाइल पर मेरे वैयक्तिक सहायक द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क कर उपस्थिति की जानकारी एकत्रित की गयी तथा वाट्स–अप पर उपस्थिति पंजिका की छायाप्रति मॉगी गयी। किये गये आकस्मिक निरीक्षण की पीठवार स्थिति निम्नवत है :–

1– आगरा पीठ–1 व 2 में दोनों सदस्य एवं कार्यरत सभी कर्मचारी उपस्थित पाये गये।

2– गाजियाबाद पीठ–1 व 2 के दोनों सदस्य अनुपस्थित पाये गये तथा पीठ–2 में कार्यरत वरिष्ठ सहायक श्री दुर्गा प्रसाद अनुपस्थित पाये गये।

3– वाराणसी पीठ–1, 2, 3, 4, 5 व 6 में कार्यरत चारों सदस्य अनुपस्थित पाये गये तथा बारबार निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी 11::00 बजे तक वाराणसी की अन्य पीठों से सूचना विलम्ब से प्रेषित की गयी, जो सन्देह उत्पन्न करता है। प्रेषित सूचना के अनुसार वाराणसी स्थित सभी पीठों में कर्मचारी उपस्थित पाये गये।

निरीक्षण के समय अनुपस्थित सदस्यगण अपना–अपना स्पष्टीकरण एक सप्ताह के भीतर प्रेषित करें। इसी प्रकार श्री दुर्गा प्रसाद, वरिष्ठ सहायक, पीठ–1, गाजियाबाद अपनी अनुपस्थिति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें तथा समय से सूचना प्रेषित न करने के सम्बन्ध में पीठ–1, वाराणसी में कार्यरत प्रधान सहायक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

सम्बन्धित सदस्यों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपने–अपने लैण्ड–लाईन दूरभाष को कियाशील बनाये रखें तथा किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दूरभाष पर सूचना प्राप्त करने हेतु निर्देशित करें, अन्यथा स्थिति में कार्यालय प्रधान सहायक उत्तरदायी होंगे।

ह0–21–07–2022,
(अरविन्द मलिक)
एच0जे0एस0,
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन– वा0क0अधि0 / दस–3 (ग) / आक0निरी0 / 3184 / 2022, दिनांकः उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– कार्यालय सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1 व 2 आगरा, पीठ–1 व 2 गाजियाबाद, एवं पीठ–1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 वाराणसी।

2– वरिष्ठ सहायक (विवरण), मुख्यालय, लखनऊ को गार्ड फाईल एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।

आज्ञा से

(तरूण कुमार)
निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।